



2026:AHC:65509

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के

तहत संख्या - 2765 वर्ष 2026

अनुज चौहान आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अर्जुन सिंह सोलंकी, केतन प्रताप सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, सुनील कुमार यादव

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. श्री अर्जुन सिंह सोलंकी, आवेदक के अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार यादव, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता, श्री सुरेंद्र सिंह, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-211 वर्ष 2025 में बी.एन.एस.-2023 की धारा 109, 125, 115(2), 352, 351(2) के तहत दायर किया गया है, थाना-निधौली कलां, जिला- एटा, उसे अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ क्योंकि आवेदक उपर्युक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका करता है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि यद्यपि आवेदक को घायलों को बंदूक की गोली लगने की भूमिका सौंपी गई है, हालांकि, आवेदक को लगी चोटें एक नकली चोट प्रतीत होती हैं। आगे उनका तर्क है कि मारने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि चोट की रिपोर्ट में वर्णित बंदूक की गोली की चोटें करीब से थीं और फिर भी, यह एक महत्वपूर्ण हिस्से पर लगाया गया है जब घायल को दो अन्य आरोपियों द्वारा रोका गया था। आवेदक का एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य मामले का आपराधिक इतिहास था, जिसे सूचनाकर्ता के कहने पर भी दर्ज किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।

4. दूसरी ओर, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया है कि आवेदक को घायलों को बंदूक की गोली लगने की विशिष्ट भूमिका दी गई है। चिकित्सा साक्ष्य प्राथमिकी संस्करण की पुष्टि करते हैं। आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2450 वर्ष 2026 के रूप में एक रिट याचिका भी दायर की थी, जिसमें आवेदक को कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है और यह अभी भी इस न्यायालय के विचारार्थ लंबित है। प्रस्तुत किए गए सबमिशन के मददेनजर, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता का दावा है कि अग्रिम जमानत की मांग करने वाला यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का भी समर्थन किया है।

6. मैंने पक्षगण के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

7. आवेदक का नाम उसके भाइयों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। सह-अभियुक्तों को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई है और आवेदक को देशी पिस्तौल से बंदूक की गोली लगने की भूमिका सौंपी गई है। जांच पर चोटें पाई गई हैं। एक्स-रे रिपोर्ट में, रेडियोलॉजिस्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से पता चलता है कि कोई हड्डी की चोट नहीं थी और कई छोटे रेडियो अपारदर्शी छायाएं देखी गई थीं, जो गन पाउडर का संकेत दे रही थीं। जांच के दौरान, कुछ स्वतंत्र गवाहों अर्थात् वसीर खान पुत्र नन्हू खान और साहबाउद्दीन पुत्र रफीक के बयान दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि सूचनाकर्ता पक्ष ने आवेदक और अन्य आरोपियों के खिलाफ इस मामले को दर्ज करने के लिए नकली चोटें लगाई थीं। घायल आवेदक का चचेरा भाई है और पक्षों के बीच संपत्ति विवाद प्रतीत होता है और संबंधित न्यायालय के मूल वाद संख्या-889 वर्ष 2023 (श्री चंद्रपाल सिंह बनाम श्रीमती विनेश कुमारी) पर विचार करने के लिए एक दीवानी मुकदमा भी लंबित है, जिसमें आवेदक की चाची और सूचनाकर्ता, विनेश कुमारी आवेदक के पिता द्वारा स्थापित दीवानी सूट में प्रतिपक्षी हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. चोटों की प्रकृति, दीवानी मुकदमे के लंबित होने और स्वतंत्र गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में, आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

9. जहां तक रिट याचिका के लंबित होने के संबंध में सूचनाकर्ता के अधिवक्ता की आपत्ति का संबंध है, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज अदालत में एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है, जो इंगित करता है कि उक्त रिट याचिका में एक वापसी आवेदन दायर किया गया है और उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस आवेदन की अनुमति है।

11. आवेदक - अनुज चौहान की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले के अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा किया जाएगा: -

i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर राय नहीं मानी जानी चाहिए।

मार्च 30, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।